



**The Uttar Pradesh Jamindari-Vinash Vidhiyon ka Sanshodhan Adhiniyam,
1978**

Act 15 of 1978

Keyword(s):

Text of Act is in Hindi, Registration, Society, Land

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

157360

विधान परिषद
(राजकीय विभाग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

15/78-15M
Cap. 2

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश विधियों का संशोधन अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1978)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 अप्रैल, 1978 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 अप्रैल, 1978 ई० की बैठक में स्वीकृत किया]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खंड (क) में दिनांक 27 अप्रैल, 1978 ई० को प्रकाशित हुआ]

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 और कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश विधियों का संशोधन अधिनियम, 1978 कहा जायेगा।

(2) इसे 30 नवम्बर, 1977 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 20 मार्च, 1978 ई० का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खंड (क) देखिये]

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
1, 1951 की
धारा 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 2 में—

(एक) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायेगी, अर्थात्—

“(1-क) उपधारा (1) के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्वय या परिष्कार करने के लिये राज्य सरकार के अधिकार का प्रयोग समय-समय पर किया जा सकता है।”;

(दो) उपधारा (2) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

“(2) जहां उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया प्रख्यापन किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में हो, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबंधित किसी सहकारी समिति या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सीमित दायित्व वाली किसी कंपनी द्वारा किसी गृह-निर्माण योजना के प्रयोजनों के लिए 7 जुलाई, 1949 को धृत हो, वहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, लोक हित में, प्रख्यापन का विखंडन या अतिक्रमण ऐसे क्षेत्र के संबंध में कर सकती है, जिसका अधिसूचना के दिनांक तक गृह-निर्माण योजना के निष्पादन में, चाहे ऐसी समिति या सोसाइटी या कंपनी के किसी व्यतिक्रम के कारण या किसी अन्य कारण से, उपयोग वस्तुतः नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि गृह निर्माण योजना के निष्पादन में क्षेत्र का उपयोग वस्तुतः नहीं किया गया है, यदि इस उपधारा के अधीन अधिसूचना के दिनांक पर—

(क) भवन-निर्माण स्थल कि स्थिति में, कम से कम नींव पूरा होने के स्तर तक निर्माण न किया गया हो; और

(ख) किसी अन्य स्थिति में भूमि पर कोई सड़क या पार्क नहीं है।

(3) उस भूमि के क्षेत्र का, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी की जाये, उपयोग राज्य सरकार द्वारा गृह निर्माण और नगर विकास प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति से किया जा सकता है, जो नियत की जाये।”

अध्याय तीन

कुमायूँ तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
17, सन् 1960
में नई धारा 4-क
का बढ़ाया जाना

3—कुमायूँ तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

“4-क—दिनांक 1 जनवरी, 1978 से वन भूमि के संबंध में प्रत्येक हिस्सेदार वन भूमि में हिस्से-दार के स्वत्व का राज्य सरकार में निहित होना के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे, और समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे, और इस अध्याय और अध्याय पांच के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, वन भूमि पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी खायकारी भूमि पर लागू होते हैं।”

4—मूल अधिनियम की धारा 6 में—

(एक) उपधारा (1) में खंड (4) को दिनांक 1 जनवरी, 1973 से निकाल दिया गया समझा जायेगा।

(दो) उपधारा (2) को दिनांक 1 जनवरी, 1978 से निकाल दिया गया समझा जायेगा।

धारा 6 का
संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

“(गग) किसी निजी वन की स्थिति में, उससे होने वाली औसत वार्षिक आय, जिसकी गणना निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती बीस कृषि वर्षों की अवधि में ऐसे वन से होने वाली आय के आधार पर की जायेगी;”।

6—मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(1) धारा 12 के अधीन हिस्सेदार को देय प्रतिकर निम्नलिखित होगा:—

(क) खायकारी भूमि की स्थिति में, धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लगानी आय में से, हिस्सेदार द्वारा देय मालगुजारी, अब्बाव और स्थानीय करों को घटाने के पश्चात् निकाली हुई धनराशि का तीस गुना;

(ख) निजी वन की स्थिति में, ऐसे वन से होने वाली औसत वार्षिक आय की धनराशि का आठ गुना।”

(दो) उपधारा (3) में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा; अर्थात्—

“(घ) ठेके के अधीन खायकारी भूमि और निजी वन की लगानी आय और औसत वार्षिक आय,”।

7—मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्,—

“(3) राज्य सरकार अनुवर्ती अधिसूचित आज्ञा द्वारा, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी आज्ञा का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, अतिक्रमण या परिष्कार कर सकती है, और कोई ऐसा अतिक्रमण या परिष्कार किसी पूर्ववर्ती दिनांक से, जो उस उपधारा के अधीन जारी की गई आज्ञा के दिनांक से पहले का न हो, प्रभावी किया जा सकता है।”

8—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

“प्रतिबन्ध यह है कि किसी वन भूमि के संबंध में प्रत्येक ऐसी आज्ञा ऐसे दिनांक से प्रभावी होगी जिससे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।”

अध्याय चार

प्रकीर्ण

9—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के प्रवर्तन से किसी छूट को समाप्त करने वाली या समाप्त करने का तात्पर्य रखने वाली, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी कोई अधिसूचना जो किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में हो, जिसका ऐसी अधिसूचना के दिनांक के पूर्व गृह-निर्माण योजना के निष्पादन में उपयोग वस्तुतः न किया गया हो, एतद्द्वारा, यथासंशोधित उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी की गयी समझी जायेगी और सदैव से इस प्रकार जारी की गयी समझी जायेगी, जहां विज्ञप्ति से संबंधित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो जिसका इस प्रकार जारी की गयी विज्ञप्ति के दिनांक तक इस अधिनियम के अध्याय दो द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अर्थात्तर्गत किसी गृह-निर्माण योजना के निष्पादनार्थ उपयोग वस्तुतः न किया गया हो।

10—(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश विधियों का संशोधन अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो और तीन में उल्लिखित किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 263 सा० (विधा०)-6-10-78-(2299)-1978-1819+50SS (ने०)

धारा 18 का संशोधन

धारा 19 का संशोधन

धारा 47 का संशोधन

धारा 52 का संशोधन

वैधीकरण

निरसन और अपवाद

उ० प्र०
अध्यादेश
संख्या 19,
1977